

न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार  
जरिये पटवार हल्का कुराडा  
मुकदमा नं. २ / 2019

बहक श्री हरजीराम  
पुत्र श्री बाइराम नि कुराडा  
जाति जाट  
राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 13/3/19

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम कुराडा खसरा नम्बर 330  
रकबा 0.0/ हैक्टर किरम श्री कुराडा (राजकीय भूमि) पर संवत् 2075 में श्री हरजीराम  
पुत्र श्री बाइराम जाति जाट निवासी कुराडा (जिसे  
आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाइ लागा कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का  
अर्न्तगत अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिस जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी

का नोटिस शामिल हुआ प्राप्त जो शामिल  
मिसल है अप्रार्थी द्वारा कलियोग हथिये हेतु समचपारी  
दिया जाकर अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम कुराडा  
ख.न. 330 रकबा 0.0/ किरम श्री कुराडा पर संवत् 2075 में विना विधिक  
अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाइ लागा कर अतिक्रमण किये  
जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :-

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से वेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 25 रु. 07 पैसे का 50 गुणा रूपया 13/65  
( रूपये नेरु रूपये ) शारित  
कायम की जाती है।

क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का कुराडा निर्णय की  
रुग् तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।  
5/1/19 भु. अभिलेख निरीक्षक

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दपत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13/3/19 का सरे इजलास सुनाया।

तंजिका 'ग' वज 2019-20 के पृष्ठ सं. 72  
पत्र प्रा० पत्र 1-3/ को ६० की  
बात दर्ज की गई।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

तहसील राजस्व लेखाकार